जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर दिनांक 19.03.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा 99/25 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तगणों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल गमछे सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.03.2025 को वादी श्री समसुल हसन पुत्र अब्दुल कलाम निवासी ग्राम रवाना शिकारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी का पुत्र फैसल नशा करने का आदी था, जिस कारण वादी द्वारा फैसल उपरोक्त को आदर्श नशा मुक्ति केन्द्र ग्राम लिण्डरपुर थाना नूरपुर में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। दिनांक 18/19.03.2025 की रात्रि में नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती अन्य लोगो 1- गौरव पुत्र जगदीश निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2- अमित पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम गौहावार जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने गला दबाकर वादी के पुत्र की हत्या कर दी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 99/25 धारा 103(1) से संबंधित अभियुक्त 1- गौरव पुत्र जगदीश निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2- अमित पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम गौहावार जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कपडे का गमछा (आलाकत्ल) को बरामद किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण गौरव व अमित उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वे लोग नशा करने के आदि है। इस वजह से उनके घरवालो ने उन्हे आर्दश नशा मुक्ति केन्द्र लिण्डरपुर, नूरपुर में पिछले कई महीनो से दाखिल किया हुआ है और भी बहुत से लोगो को नशा छुडाने के लिये उनके घरवालो ने नशा मुक्ति केन्द्र मे दाखिल किया हुआ है। इन्ही मे से एक फैसल उपरोक्त

अक्सर उन दोनो से बतमीजी किया करता था, जिससे वे काफी परेशान हो चुके थे, जिस कारण दोनो ने एक राय होकर फैसल उपरोक्त को रात में गला दबाकर इसके मुंह मे कपडा ठूसकर उसकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- गौरव पुत्र जगदीश निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2- अमित पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम गौहावार जैत थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त प्रयुक्त एक कपडे का गमछा(आल्हाकत्ल) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. निरीक्षक अपराध श्री नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. व0उ0नि0 उमेशचन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. मुख्य आरक्षी नरेन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी सुमित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
7. मुख्य आरक्षी भूपेन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
8. आरक्षी हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ　　　　**दिनांक 19.03.2025**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मु0अ0सं0 81/25 धारा 305(a)/331(3)/ 317(2) बीएनएस में वांछित दो बाल अपचारियों को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.03.2025 को वादी नजाकत हुसैन पुत्र मौ0 सद्दीक निवासी मौहल्ला किला कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि दो बाल अपचारियों द्वारा कमरे में घुसकर 8,000 रुपये चोरी किये गये है। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 81/25 धारा 305(a)/331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित दो बाल अपचारियो को चोरी किए गए 8,000/- रुपए सहित निगरानी में लिया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारियों का विवरणः-

दो बाल अपचारी

बरामदगीः-

चोरी किए गए 8,000 रुपये।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. म0उ0नि0 रीनू पंवार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. का0 1478 विपिन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. का0 2543 शुभम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर